

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

बनाम
रसुगानाई का 2/19
किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 47/सन् 2015

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामिल
में जारी हुए

वकील वादी उपस्थित।

वकील वादी ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा
52 ए. 88. 188- RT Act के तहत पेश किया हैं। राजस्व वाद दर्ज
रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किये जावे।
पत्रावली आयन्दा दिनांक 16/4/15 को पेश हो।

SBO

240
9/4/15

राज्य सरकार/जिला कलेक्टर महोदय, पाली के आदेशानुसार आयोजित
राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय शुम्बलिण
अदल सेवा केन्द्र पर दिनांक 14.02.15 का पेश हो
SBO

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प, अदल सेवा
केन्द्र शुम्बलिण पेश हुई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वकील
ने प्राप्प वाद जरिये विड्रोहल स्वारिठ किये जाते हेतु दिनांक
8.1.15 का पेश किया। जाते ही। वादी का वकील
ने वाद के पत्रावली के बन्ध आपसी शर्तीनाम के जाते
ले वाद के जरिये विड्रोहल स्वारिठ किये जाते हेतु पेश
किया।

अतः वादी का वकील द्वारा पेश प्राप्प जरिये
वाद विड्रोहल स्वारिठ करके रुडालात वादी का वाद जरिये
विड्रोहल स्वारिठ किया जाते ही पत्रावली केवल शुम्बल
होकर नकल ले जाते ही वाद वकील जाते दारिगल दस्त
लेजा। अन्तर्गत जाते ही
SBO